

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला - अलवर

म मुकदमा नसीबा वनाम शुशमीता सिंह न सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/3/13	<p>वकील वादी अपन दावा दर्ज किया है। प्रति-की तलबी जय Regd/MJ तकव कर दि 25/4/13 को पेश हो।</p> <p>25/4 वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी पेश किया, नकल दिलाई गई। वास्ते दिनांक 25/4/13 को पेश हो।</p>	
23/5	<p>पेश किया, नकल दिलाई गई। वास्ते दिनांक 23/5/13 को पेश हो।</p>	
20/11/13	<p>वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी पेश किया, नकल दिलाई गई। वास्ते दिनांक 20/11/13 को पेश हो।</p>	
23/11/14	<p>वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी पेश किया, नकल दिलाई गई। वास्ते दिनांक 23/11/14 को पेश हो।</p>	
13/2/14	<p>वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य स्थगित है। पेश किया, नकल दिलाई गई। वास्ते दिनांक 13/2/14 को पेश हो।</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

20.11.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब.....
.....कार्य में प्रस्तुत है।
पत्रावली दिनांक.....
28.12.23
रीडर

26.12.23
साबिक आदेश दिनांक.....
की पालना में पत्रावली वास्ते.....
दिनांक.....को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

15/1/24 पत्रावली पेश। P.O. साहब.....
.....कार्य में प्रस्तुत है।
पत्रावली दिनांक.....को पेश हो।
रीडर

12.2.24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वहील वादी अनुपस्थित।
वकील प उनके वादी को वाए-वाए आवाज
लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः
द्वारा वकील प उनके वादीगण की अफ्म दायिरी-
अफ्म पेटकी में रजार्ज किया जात है। पत्रावली केवल
शुमार फेकर नम्बर से फ्त हो। बाद ताखिल मउरहील
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०